तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/2751/2004/श्रीगंगानगर सुरेणसिंह(मृतक) जरिए वारिसान दर्शनसिंह व अन्य बनाम सरजीतसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—

श्री प्रदीप विश्नाई, अभिभाषक प्रार्थी

श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 27—12—2023

1. यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18—7—1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा सहायक आयुक्त घडसाना मु0 अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थी को चक 32 एपीडी के मु0नं0 336/407 का कुल रकबा 9 बीघा बतौर स्माल पेच का आवंटन दिनांक 28—5—1984 को किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट एक ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18—7—1992 से अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया । उक्त निर्णय दिनांक 18—7—1992 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/2751/2004/श्रीगंगानगर सुरेणसिंह(मृतक) जरिए वारिसान दर्शनसिंह व अन्य बनाम सरजीतसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर प्रार्थी के आवंटन को बिना समुचित सुनवाई व नोटिस के खारिज कर दिया जबकि आवंटन नियमों यह बाध्यकारी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का आवंटन उसको सुनवाई का अवसर दिए बिना निरस्त नहीं किया जायेगा किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इसके विपरीत जाकर निर्णय पारित किया जो बिना क्षेत्राधिकार के एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटन नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत स्माल पेच में आवंटन कराने का पात्र था क्योंकि प्रार्थी के पास मुरब्बा नंबर 336/406 की 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित है और विवादित भूमि इससे चिपती हुई है। इसलिए प्रार्थी इस भूमि का स्माल पेच में आवंटन कराने का पात्र होने के आधार पर उसको यह भूमि आवंटन की गई थी। अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी कथन है कि अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश के पश्चात् सरजीतसिंह ने अपनी आराजी को गंगासिंह को विक्रय कर दी है। अतः इस भूमि के हम ही हकदार है। लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसके विपरीत जाकर आवंटन खारिज कर प्रकरण रिमाण्ड करने में त्रुटि कारित की है। उन्होंने निगरानी को अन्दर मियाद प्रस्तुत करने के बाबत् तथ्य भी पेश किये तथा निगरानी प्रस्तुत होने की देरी को माफ कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर आवंटन आदेश दिनांक 28–5–84 बहाल रखा जावे । 5. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/2751/2004/श्रीगंगानगर सुरेणसिंह(मृतक) जरिए वारिसान दर्शनसिंह व अन्य बनाम सरजीतसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत जांच एवं परीक्षण के उपरांत ही प्रकरण रिमाण्ड किया है। जिसमें प्रार्थी अपना पक्ष रख सकता है । ऐसे विधिसम्मत आदेश में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे । 6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । 7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 18–7–92 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी के देरी से प्रस्तुत किये जाने के जो कारण अंकित किये गये हैं, उन पर विश्वास करते हुए निगरानी को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर उसे अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था कि रेस्पोडेण्ट द्वारा जिस भूमि का स्माले पेच हेतु आवंटन चाहा गया है। वह भूमि अप्रार्थी को आवंटित है एवं स्मालपेच के नियमों के तहत प्रथम हकदार उसी मुरब्बा का हिस्सेदार होता है और इसी बिन्दु के निर्धारण हेतु प्रकरण को दोनों पक्षों को सुनकर स्मालपेच आवंटन नियमों में बने प्रावधानों की पालना की जाकर पात्रता के आधार पर नियमानुसार पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की ओर से उठाई गयी आपत्तियों पर विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय से प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है। जहां	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/2751/2004/श्रीगंगानगर सुरेणसिंह(मृतक) जरिए वारिसान दर्शनसिंह व अन्य बनाम सरजीतसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तक प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी आराजी अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय कर दी गई है, तो इस बाबत् विचारण न्यायालय को परीक्षण किया जाना है, ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है । 8. उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया । **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	